संख्या-576/38-6-15-3(एसआरएलएम)/2013

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश ।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश ।
3. **मिशन निदेशक,**
   यूपीएसआरएलएम, ग्राम्य विकास,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक: मई, 2015**

विषय:- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय(मुस्लिम, सिक्ख ईसाई, बौद्व, पारसी एवं जैन) के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्व है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदेश की विकास योजनाओं में उनका उचित अवसर दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्यकों हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश में चलने वाली विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक न्याय की परिधि में लाते हुये उन्हें न्यायोचित हिस्सा मिल सके तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके । प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-1533/52-3-13-सा0 (30)/13, दि0- 24.08.2013 निर्गत किया गया है। शासनादेश में चिन्हित

http://shasanadesh.up.nic.in/

कल्याणकारी योजनाओं में ग्राम्य विकास विभाग की **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना** भी सम्मिलित है। यह योजना लाभार्थीपरक है।

2- वित्तीय वर्ष- 2015-16 के लिए अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 द्वारा निर्गत आदेश सं0-857/52-3-2015-स(30)/13टीसी-3, दिनांक-08.04.2015 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई वार्षिक कार्य योजना के बजट के अनुसार मिशन निदेशक,यूपीएसआरएलएम द्वारा लक्ष्य/प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य की माहवार/जनपदवार फॉट **संलग्नक-क** पर है। इसके आधार पर ही जनपदवार लक्ष्य की प्राप्ति की जानी है।

3- योजना में अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी विशेष कारण से लक्ष्य प्राप्ति हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी प्राप्त नहीं हो पाते है तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति तथा मुख्य सचिव के माध्यम से शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अल्पसंख्यकों के अवशेष लक्ष्य को अन्य समुदाय के लोगों से पूर्ण कर लिया जायेगा।

4- उपरोक्त योजना की समीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रति **संलग्नक-ख** के रूप में संलग्न की जा रही है। इस प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक वांछित सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विभाग, परीक्षणोपरान्त प्रत्येक माह की 12 तारीख तक **संलग्नक-ग** पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को संकलित रूप से विवरण उपलब्ध करायेंगें।

5- योजना से संबंधित शासनादेश सं0-1533/52-2013-सा(30)/2013, दिनांक-24.08.2013 में निर्धारित अन्य शर्तो/प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

<u>संलग्नक-यथोपरि (क,ख एवं ग)</u>

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

http://sharanadesh.up.nic.in/

संख्या-576(1)/38-6-2015,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेंतु प्रेषित:-

1- सचिव,अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, ग्राम्य विकास, गोमती नगर, लखनऊ ।
4- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/